HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 305/2026

Avinash Pareta S/o Ashok Pareta, Aged About 28 Years, R/o House No. 577, Road Ino.1, Dadwada Rangpur, Police Station Bheemganj Mandi, Kota Presently House No. 43, Roop Laxmi Vatika, Kallawala, Police Station Sanganer Sadar, Jaipur (Confined in Central Jail, Jaipur.

----Appellant

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Victim

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Ram Charan Gautam, Adv. Ms. Nilanjna Gautam, Adv. Mr. Bhupendra Singh, Adv. Mr. Rohit Gautam, Adv. Mr. Abhay, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP
For Complainant(s)	:	None Present

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

26/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 14–ए(2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत यह जमानत अपील विचारण न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 09/2026 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2026 से व्यथित होकर पेश की गई है, जिसके तहत पुलिस थाना सांगानेर सदर, जयपुर शहर (दक्षिण) में

दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 955/2025 अंतर्गत धारा 69, 78(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66D, 66E सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम में अपीलार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया गया।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। पीड़िता 23 वर्षीय है और पूर्व से विवाहित है। अपीलार्थी/अभियुक्त की फ्रेंड रिक्वेस्ट पर उसने अपीलार्थी/अभियुक्त से दोस्ती की और सहमति से शारीरिक संबंध बनाये। पीड़िता ने सितम्बर, 2025 व अक्टूबर, 2025 में शारीरिक संबंध बनाना कहा है, यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाये जाते या उसे धोखे में रखकर शारीरिक संबंध बनाये जाते, तो वह घटना की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करवाती। पीड़िता ने जो फोटो अपलोड़ किये हैं, वे स्वयं के व भाई की आई.डी. से किये हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

नोटिस तामील के बावजूद परिवादी/पीड़िता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त की जमानत अपील खारिज की जावे।

मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में अनुसंधान से यह तथ्य सामने आया है कि पीड़िता 23 वर्षीय है और पूर्व से विवाहित है तथा जून, 2025 से अपने पति से अलग निवास कर रही है और अस्पताल में नर्सिंग हैल्पर स्टाफ के रूप में नौकरी कर रही है। अपीलार्थी/अभियुक्त की फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पीड़िता ने उससे दोस्ती करके उसके साथ सितम्बर, 2025 में प्रताप नगर में एक होटल में व दिनांक 13.10.2025 को प्रताप नगर में एक कॉलोनी के कमरे में पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाये जाना बताया है। उक्त शारीरिक संबंध बनाने के संबंध में पीड़िता ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही करायी है। पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में उसने अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा शादी से इन्कार किये जाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाना बताया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय **Pramod Suryabhan Pawar v. State of Maharashtra, (2019) 9 SCC 608** में यह अभिनिर्धारित किया है किः–

> ***"18.*** *To summarise the legal position that emerges from the above cases, the "consent" of a woman with respect to Section 375 must involve an active and reasoned deliberation towards the proposed act. To establish whether the "consent" was vitiated by a "misconception of fact" arising out of a promise to marry, two propositions must be established. The promise of marriage must have been a false promise, given in bad faith and with no intention of being adhered to at the time it was given. The false promise itself must be of immediate relevance, or bear a direct nexus to the woman's decision to engage in the sexual act."*
>
> ***"21.*** *The allegations in the FIR do not on their face indicate that the promise by the appellant was false, or that the complainant engaged in sexual relations on the basis of this promise. There is no allegation in the FIR that when the appellant promised to marry the complainant, it was done in bad*

faith or with the intention to deceive her. The appellant's failure in 2016 to fulfil his promise made in 2008 cannot be construed to mean the promise itself was false. The allegations in the FIR indicate that the complainant was aware that there existed obstacles to marrying the appellant since 2008, and that she and the appellant continued to engage in sexual relations long after their getting married had become a disputed matter. Even thereafter, the complainant travelled to visit and reside with the appellant at his postings and allowed him to spend his weekends at her residence. The allegations in the FIR belie the case that she was deceived by the appellant's promise of marriage. Therefore, even if the facts set out in the complainant's statements are accepted in totality, no offence under Section 375 IPC has occurred."

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त **अविनाश पारेता पुत्र अशोक पारेता** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत अपील स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2026 अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता ना हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /110